



प्रेस नोट जनपद बागपत

जनपद बागपत

दिनांक 03.04.2025

बागपत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता:-

1-सचिन पुत्र राजू उर्फ राजकुमार निवासी न्यु रामनगर कालोनी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-सन्नी पुत्र राजवीर सिंह उर्फ कालूराम निवासी ग्राम नंगला बड़ी थाना खेकडा बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-थाना बडौत पुलिस टीम ।

2-थाना खेकडा पुलिस टीम ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक-03.04.2025

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 317/24 धारा
131/303(2)/191(2)/190/351(2)/109 बीएनएस में वाँछित 03 अभियुक्तों को
किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.11.2024 को थाना दोघट पर वादी संदीप पुत्र जगपाल निवासी ग्राम झुण्डपुर थाना दोघट जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.जिन्दा पुत्र असलम, 2.दाऊद पुत्र जिन्दा, 3.शारुख उर्फ काला पुत्र रियात, 4.रियात पुत्र असलम, 5.फारुख पुत्र रियात, 6.खुशहाल पुत्र वकील, 7.तोसीब पुत्र शदीक, 8.नसीब पुत्र कलवा, 9.निन्ना



पुत्र अनीस समस्त निवासीगण पट्टी बंजारन ग्राम तमेलगढी थाना दोघट जनपद बागपत, 10.राजा पुत्र ताहिर निवासी ग्राम झुण्डपुर थाना दोघट जनपद बागपत व 6-7 अज्ञात व्यक्तियों में से किन्ही 02 व्यक्तियों द्वारा वादी के भाई लक्की का मोबाइल चोरी कर लिया है तथा उपरोक्त अभियुक्तों ने वादी व वादी के परिजनों पर एक राय होकर धारदार हथियारों से जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया, जिससे वादी व वादी के परिजन गम्भीर रूप से घायल हो गये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 317/2024 धारा 131/303(2)/191(2)/191(3)/190/351(2)/109 बीएनएस 2023 पंजीकृत किया गया।

नोट- उक्त अभियोग में थाना दोघट पुलिस द्वारा पूर्व में अभियुक्तों 1-खुशहाल पुत्र वकील, 2-दाऊद पुत्र जिन्दा, 3-फारुख पुत्र रियात, 4-जिन्दा पुत्र असलम, 5-रियात पुत्र असलम व 6- तोसिब पुत्र शदीक निवासीगण पट्टी बंजारन ग्राम तमेलगढी थाना दोघट जनपद बागपत को गिरफ्तार किया जा चुका है ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 317/2024 धारा 131/303(2)/191(2)/190/351(2)/109 बीएनएस में वांछित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.मोहसीन उर्फ निन्ना पुत्र अनीस निवासी पट्टी बंजारन ग्राम तमेलगढी थाना दोघट जनपद बागपत।

2.शारूख पुत्र रियात निवासी पट्टी बंजारन ग्राम तमेलगढी थाना दोघट जनपद बागपत।

3.राजा पुत्र ताहिर निवासी पट्टी बंजारन ग्राम तमेलगढी थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 रजत ढाका थाना दोघट जनपद बागपत

2-उ0नि0 श्री मोहित चौहान थाना दोघट जनपद बागपत

3-है0का0 464 सुधीर कुमार थाना दोघट जनपद बागपत





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक-03.04.2025

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान सट्टे की खाईवाडी करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 05 सट्टा पर्ची, 02 पैन व 1200 रुपये नगद बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ-सट्टा खेलने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान सट्टा का खाईवाडी करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 05 सट्टा पर्ची, 02 पैन व 1200 रुपये नगद बरामद हुए हैं।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. साजिम पुत्र अल्ताफ निवासी पट्टी बंजारन ग्राम तमेलगाडी थाना दोघट जनपद बागपत।
2. मुसब्बर पुत्र इस्ताक निवासी पट्टी बंजारन ग्राम तमेलगाडी थाना दोघट जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

1. अभियुक्त साजिम के कब्जे से 03 सट्टा पर्ची, एक पैन व कुल 790 रुपये ।
2. अभियुक्त मुसब्बर के कब्जे से 02 सट्टा पर्ची, एक पैन व कुल 410 रुपये ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उपनि0 श्री राकेश कुमार शर्मा थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-का0 73 रविन्द कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।

3-एचजी 491 यशवीर सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 03.04.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा 12 बोर मय एक जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित

किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रिजवान पुत्र मौ0 सईद निवासी ग्राम नैटोर गली नं0 5 म0न0 503 थाना नैटोर जिला बिजनौर हाल पता गली नं0 01 पुराना नुस्तनगबाद थाना दयालपुर, दिल्ली ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोरा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकास कुमार चौहान थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 494 राहुल कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-का0 982 नीरज कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 03.04.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 182/2024 धारा 363/376/323/506 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 182/2024 धारा 363/376/323/506 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग की अपहृता को थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा दिनांक 31-03-2025 को बरामद किया गया है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अजय पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम ढिकाना थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री वृक्षपाल सिंह यादव थाना बागपत जनपद बागपत।

2-का0 1026 रघुराज सिंह थाना बागपत जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 03-04-2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त इमरान पुत्र इकबाल को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व

पता-

इमरान पुत्र इकबाल निवासी मौ0 ईदगाह करबा बागपत थाना कोतवाली बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकास कुमार चौहान यादव थाना कोतवाली बागपत ।

2-है0का0 611 देवेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत ।

3-है0का0 12 धीरज कुमार थाना कोतवाली बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 03.04.2025

थाना बडौत पुलिस व सर्विलांस सैल की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 190/25 धारा 309(4) बी.एन.एस. का सफल अनावरण करते हुए लूट की झूठी सूचना देने वाले 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशादेही पर लूट के बताए हुए 01 लाख 06 हजार रुपये नगद व एक मोबाइल फोन बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 02.04.25 को थाना बडौत पर वादी आसिफ अली पुत्र गय्यूर अली निवासी ग्राम इदरीशपुर थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि बाईक सवार अज्ञात 03 व्यक्तियों के द्वारा वादी से 01 लाख 06 हजार आठ सौ रुपये व 01 मोबाइल फोन छीन कर ले गये है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 190/25 धारा 309(4) बी.एन.एस पंजीकृत किया गया ।

उपरोक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर वादी आसिफ अली से पूछताछ की गई तो आसिफ ने बताया कि वह आनलाईन जुआ/सट्टा खेलने का आदि है, वह सट्टे में रकम हार गया था। मैने अब्दुल्ला

निवासी रटौल से एक लाख 06 हजार रुपये ऊधार लिये थे, दिनांक 02.04.25 को समय करीब 14.00 बजे मै अपने खाते से उक्त रुपये निकालकर घर ले जा रहा था, मेरे ऊपर कर्जा होने की वजह से मैने वह रुपये रास्ते में एक झाड़ी में छिपा दिये थे तथा अपना मोबाइल भी वही फैंक दिया था और लूटी की झूठी सूचना पुलिस को तथा अपने घर वालो को दे दी थी ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस व सर्विलांस सैल की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु०अ०सं० 190/25 धारा 309(4) बी.एन.एस. का सफल अनावरण करते हुए वादी द्वारा दी गयी झूठी सूचना पर त्वरित कार्यवाही कहते हुए अभियुक्त/वादी की निशाहेदी पर लूट के बताये गये 01 लाख 06 हजार रुपये की धनराशि नगद व 01 मोबाइल फोन को बरामद किया गया है, उक्त बरामदगी के आधार पर अभियोग के वादी आसिफ को गिरफ्तारी किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:

आसिफ अली पुत्र गय्यूर अली निवासी ग्राम इदरीशपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 लाख 06 हजार रुपये नगद ।
- एक मोबाइल फोन ओपो ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक राकेश कुमार शर्मा प्रभारी सर्विलांस सैल मय टीम ।
- 2-उ०नि० श्री प्रेमपाल सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 633 रुस्तम कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-का० 647 प्रवीण कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5-का० 463 पवन नागर थाना बडौत जनपद बागपत ।